पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए पट्टा वित्त योजना

1. **प्रयोजन :** ऐसे बड़े पूंजीगत उपस्करों / मशीनरी की वित्त व्यवस्था करना, जो विद्युत और संबद्ध बुनियादी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य हो।
2. **कार्य क्षेत्र :** परियोजना के सभी बड़े पूंजीगत उपस्करों / संपूर्ण पैकेज (संपूर्ण परियोजना के लिए नहीं), नई और अनप्रयुक्त उपस्कर आदि, जिनका उपयोग पवन विद्युत परियोजनाओं में में किया जाना है (लेकिन इसमें विशिष्ट अपवर्जन सूची में उल्लिखित मदें शामिल नहीं होंगी) किसी अन्य स्रोत से लिए गए उपस्करों / मशीनरी के लिए कोई प्रतिभूति या प्रस्तावित प्रतिभूत वित्तीय सहायता नहीं ली जानी चाहिए।

विशिष्ट अपवर्जन सूची :

क. केबल, वितरण बोर्ड, स्थानीय नियंत्रण केंद्र, एयरकंडीशनर आदि जैसे छोटे उपस्कर और सहायक पुर्जे

ख. संचार उपस्कर

ग. पाइपिंग कार्य

घ. केबल और कंडक्टर

ङ. उपभोज्य सामग्री

च. स्थल निर्माण उपस्कर

छ. भंडार की मदें

ज. मीटर

झ. कार्यालय उपस्कर और फर्नीचर

ञ. वाहन

ट. आरसीसी की चिमनी, भवन, सड़क सिविल कार्य, जिसमें नींव, भवन खड़ा करने संबंधी कार्य भी शामिल हैं।

ठ. निजी प्रयोग में आने वाले पीसी, टेलीफोन और मदें

ड. स्पात का बड़ा निर्माण कार्य और पारेषण टावर

ढ. क्लेंप, कनेक्टर्स और इन्स्युलेटर्स आदि जैसी पारेषण लाइन से संबंधित सामग्री

ण. नई और अप्रमाणित प्रौद्योगिकी से निर्मित उपस्कर

उपर्युक्त मदें स्वतंत्र रूप से पट्टा वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं होंगी। लेकिन ट्रांसफार्मर, मीटरिंग, केबल्स और कंडक्टर्स, संचार उपस्कर, निर्माण उपस्कर आदि एकीकृत मशीन के भाग के रूप में अन्य सामग्री के साथ-साथ इस योजना के अधीन वित्त-पोषण के योग्य होंगी। उल्लेखनीय है कि भूमि, सिविल निर्माण कार्य, उत्थापन, परीक्षण और संचालन, परियोजना की सह लागत पात्र नहीं होगी।

3. पात्र एंटिटी :

विद्युत और संबद्ध बुनियादी क्षेत्र में कार्य करने वाली सभी एंटिटी पात्र होंगी, जिनमें वे एंटिटी भी शामिल हैं, जिनके कैप्टिव और कंजनरेशन संयंत्र हों।

4. पात्रता का मापदंड :

राज्य / केंद्रीय क्षेत्र : पट्टेदार को पीएफसी ने चूककर्ता घोषित न किया हो।

अन्य : पट्टेदार किसी वित्तीय संस्था / बैंक या किसी अन्य उधारदाता, जिसमें पीएफसी भी शामिल है, का चूककर्ता न हो।

5. मूल्य निरूपण : पट्टा वित्तपोषण प्रचलित परिपाटी के अनुसार एंटिटी का मूल्य निरूपण करने पर किया जाएगा। इसके अलावा पीएफसी द्वारा पट्टा वित्तपोषण उस परियोजना का मूल्य निरूपण करने पर किया जाएगा, जिसमें लागू दिशा-निर्देशों और प्रक्रिया के अनुसार इस उपस्कर को संस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

6. पट्टा मूल्य : प्रत्येक लेनदेन का मूल्य **10** करोड़ रुपए से कम नहीं होगा।

7. पट्टा वित्त पोषण की सीमा : पट्टा वित्तपोषण की सीमा का निर्धारण वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर करयोग्य आय और पीएफसी की न्यूनतम लागू कर का प्रदर्शन किए जाने के आधार पर किया जाएगा।

उपर्युक्त के अलावा पीएफसी द्वारा पट्टा वित्तपोषण उस परियोजना की लागत के **85** प्रतिशत तक किया जाएगा, जिसमें इस उपस्कर का प्रयोग किया जाना है।

8. पट्टे की अवधि : प्रारंभिक पट्टा अवधि निश्चित होगी और उसे रद्द नहीं किया जाएगा तथा यह उपस्कर / मशीनरी की **20** वर्ष की आर्थिक मियाद को ध्यान में रखते हुए किराए की शुरूआत की तारीख से **12** वर्ष से अधिक नहीं होगी । लेकिन यदि कुछ

उपस्करों/ मशीनरी की मियाद **20** वर्ष से कम हो तो प्रारंभिक पट्टा अवधि को तदनुसार घटाया जाएगा।

गोंण पट्टा अवधि के संबंध में परस्पर सहमति बनाई जाएगी और सामान्यतः वह **8** वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार कुल मिलाकर कुल प्राथमिक और गोंण पट्टा अवधि **20** वर्ष से अधिक नहीं होगी।

9. पट्टा किराये का निर्धारण :

प्रारंभिक अवधि के संबंध में-पट्टा किराया **10** वर्ष **/ 12** वर्ष की अवधि के लिए इस प्रकार तय किया जाएगा कि कर पूर्व आईआरआर की पट्टा किराया आय कर पूर्व आईआरआर आवधिक ऋण से **25** बीपीएस **/ 35** बीपीएस अधिक हो। किराये के परिकलन के लिए अपेक्षित विभिन्न मापदंड **10** वर्ष के लिए पुनः तय की गई ब्याज दर **10** वर्ष के एएए बांड से प्राप्त उधार की लागत, मूल्य ह्रास आदि होंगे। यदि कर कानूनों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो प्रारंभिक पट्टे की अवधि के दौरान पट्टा किराए में तदनुसार संशोधन किया जाएगा। परियोजना लागत के **70** प्रतिशत से अधिक के वित्तपोषण पर उधार की दर के अलावा **2** प्रतशित प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा। इसके अलावा पट्टा किराये का निर्धारण उधारकर्ता की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होगा।

गौंण अवधि के संबंध में : **5** वर्ष की अवधि के संबंध में- वार्षिक रूप से उपस्कर की मूल लागत का **0.50** प्रतिशत

5 वर्ष से अधिक और **8** वर्ष तक की अवधि के लिए-वार्षिक पट्टा किराया आनुपातिक रूप से घटाया / समायोजित किया जाएगा।

10. वित्तीय प्रभार : प्रबंधन शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, दांडिक ब्याज जैसे वित्तीय प्रभार पीएफसी की नीति के अनुसार लगाए जाएंगे।

11. कार्बन क्रेडिट : इसे प्रारंभिक पट्टा अवधि के दौरान परियोजना के लिए उपलब्ध पट्टाकर्ता और पट्टेदार द्वारा समानरूप से वहन किया जाएगा।

12. ओ और एम संविदा : पट्टे की अवधि के दौरान उपस्कर (उपस्करों) को ठीक चालू स्थिति में रखने के लिए सभी ओ और एम लागत पट्टेदार द्वारा वहन की जाएगी।

13. बीमा **:** पट्टेदार पट्टाकर्ता की संतुष्टि के अनुसार पैकेज के रूप में अपनी लागत पर बीमा पॉलिसी लेगा, जिसमें सभी संबंधित जोखिमों का बीमा किया गया हो। इनमें संपत्ति बीमा / आग और संबद्ध संकटपूर्ण जोखिमों के कारण राजस्व बीमा की हानि और मशीनरी के खराब होने के कारण राजस्व की हानि तथा विद्युत उत्पादन गारंटी बीमा भी शामिल हैं।

14. दोष सबंधी दायित्व / वारंटी अवधि **:** पट्टेदार की प्रचालन के कम से कम पहले **7** वर्ष में उपस्करों के विनिर्माता आपूर्तकर्ताओं के प्रति दोष संबंधी दायित्व / वारंटी अवधि होगी और प्राथमिक पट्टा अवधि के दौरान ओ और एम ठेकेदार के रूप में वह आवश्यक रूप से विनिर्माता होगा।

15. प्रतिभूति **:**

राज्य / केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों के संबंध में-

पीएफसी की लागू नीति के अनुसार पट्टा करार के अधीन देय संपूर्ण रकम की वापसी की अदायगी के संबंध में निलंब **(**एस्क्रो लेखा**)**

इस आशय का वचन पत्र कि पट्टेदार पट्टाकर्ता की पूर्व अनुमति के बिना उस भूमि को बंधक नहीं रखेगा या उसका निपटान नहीं करेगा, जिस पर पट्टे पर लिये गए उपस्कर को संस्थापित किया जाना है।

प्राइवेट विद्युत यूटिलिटी के संबंध में **:**

इस पट्टा करार के अधीन देय संपूर्ण रकम की अदायगी की प्रतिभूति के संबंध में संपूर्ण पट्टा अवधि के लिए अप्रतिसंहरणीय परिक्रामी बैंक गारंटी

या

उस भूमि को बंधक रखने के अलावा अन्य परिसंपत्तियों पर प्रभार के साथ-साथ निलंब **(**एस्क्रो**)** लेखा, जिस पर उपस्कर को संस्थापित किया जाना है।

और

मूल्य निरूपण के दौरान यथा निर्धारित ऐसी अन्य प्रतिभूतियां, जिनके संबंध में निगम ने बल दिया हो।